मे0 आर0एल0जे0 कॉनकास्ट लि0, प्लाट नं0–391, ग्राम–बड़ागाँव, ब्लाक–राजगढ़, तह0–चुनार, जनपद–मिर्जापुर द्वारा प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड स्टील प्लान्ट जिसके अन्तर्गत स्पंज आयरन, इन्डक्सन फर्नेश, रोलिंग मिल एवं कैप्टिव पावर प्लान्ट के स्थापना से पूर्व उपजिलाधिकारी न्यायालय, चुनार, जनपद– मिर्जापुर में दिनांक 19–07–2009 को आहूत **"लोक सुनवाई"** का विवरण।

सदस्य–सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एफ 50037/सी–2/एन0ओ0सी0/3896/09 दिनांक 29–05–2009 के अनुपालन में उपरोक्त उद्योग द्वारा प्लाट नं0–391, ग्राम–बड़ागाँव, ब्लाक–राजगढ़, तह0–चुनार, जनपद–मिर्जापुर में इन्टीग्रेटेड स्टील प्लान्ट जिसके अन्तर्गत स्पंज आयरन 1,20,000 टन/वर्ष, इंग्ट्स 1,00,000 टन/वर्ष, रोलिंग मिल 75,000 टन/वर्ष एवं कैप्टिव पावर प्लाण्ट 15 मेगावाट के स्थापनार्थ दिनांक 19–07–2009 को पूर्वान्ह 11:00 बजे उपजिलाधिकारी न्यायालय, चुनार, जनपद–मिर्जापुर में "लोक सुनवाई" आयोजित की गयी।

उक्त 'लोक सुनवाई' की आम सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, वाराणसी तथा हिन्दुस्तान टाइम्स नई दिल्ली में दिनांक 18–06–2009 को प्रकाशित की गई थी, जिनकी प्रतियाँ संलग्न है (संलग्नक–1)।

'लोक सुनवाई' की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मिर्जापुर श्री श्रीश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा की गयी। 'लोक सुनवाई' में उपजिलाधिकारी, चुनार श्री महेन्द्र कुमार राय, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र मिर्जापुर श्री के0डी0 मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र कालिका सिंह, प्रशासनिक अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र श्री एस0के0 अवस्थी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनप्रतिनिधियों में प्रमुख रूप से श्री प्रदीप कुमार शुक्ल (महासचिव), विन्ध्य इनवायरमेन्टल सोसाइटी वरेवां, भरेहठा, चुनार, मिर्जापुर, श्री राजेन्द्र प्रसाद शास्त्री ग्राम–नेवादा, प्रदेश महासचिव, भारतीय किसान यूनियन उ0प्र0, श्री सिद्धनाथ सिंह प्रदेश सचिव, भारतीय किसान यूनियन उ0प्र0, श्री केशव दूबे पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता ग्राम–शिवपुर, श्री राजेश यादव एडवोकेट, श्री राजेन्द्र मिश्र पत्रकार, श्री रामशकल यादव (एडवोकेट), श्री राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय (प्रदेश महासचिव, उ0प्र0 भारतीय किसान यूनियन), श्री विनोद वर्मा, श्री वेचन सिंह (लालापुर, सीखड़), डॉ0 शेख कलीम प्रवन्धक (आल नेचर क्लाइमेंट इनवायरमेन्टल सोसाइटी, सोनभद्र), श्री आर0के0 चौधरी (एडवोकेट), मुहम्मद फिरोज, सतीश अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे (सूची संलग्न)।

क्रमशः 2/पर....

'लोक सुनवाई' प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र द्वारा सभी उपस्थित व्यक्तियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि मे0 आर0 एल0 जे0 कॉनकास्ट लि0, वड़ागाँव, चुनार, जनपद–मिर्जापुर द्वारा इन्टीग्रेटेड स्टील प्लान्ट जिसके अन्तर्गत स्पंज आयरन 1,20,000 टन/वर्ष, इंग्ट्स 1,00,000 टन/वर्ष, रोलिंग मिल 75,000 टन/वर्ष एवं कैप्टिव पावर प्लाण्ट 15 मेगावाट उत्पादन की ईकाई की स्थापनार्थ पर्यावर्णीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उन्होंने उद्योग के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उद्योग प्रस्तावकों से प्ररतुत करने का अनुरोध किया।

उद्योग के तकनीकी सलाहकार डॉ0 मनोज कुमार गर्ग द्वारा प्रस्तावित उद्योग के सम्बन्ध में जानकारी दी तथा यह बताया कि स्पंज आयरन, इंग्ट्स एवं स्टील एम0एस0 सरिया आदि की माँग को देखते हुए उक्त उद्योग की स्थापना प्रस्तावित की गयी थी। प्रस्तावित उद्योग की स्थापना से स्थानीय लोगों को परोक्ष एवं अपरोक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त कूलिंग जल को शीतलन कर पुनः प्रयोग किया जायेगा तथा प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह शुद्धीकृत करने के लिए उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित किया जायेगा। शुद्धीकृत उत्प्रवाह का उपयोग परिसर में गार्डेनिंग एवं धूल कणों को नियंत्रित करने के लिए छिड़काव किया जायेगा। उद्योग से जनित उत्सर्जन को मानकों के अनुरूप रखने के लिए डस्ट चेम्बर्स, वेन्चुरी स्क्रबर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर (ई0एस0पी0) एवं पल्स जेट बैग फिल्टर्स की स्थापना प्रस्तावित की गयी है। चिमनी से निकलने वाले धुएँ के उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु 99.90% दक्षता वाले ई0एस0पी0 की स्थापना की जायेगी। जल संरक्षण हेतु वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की स्थापना की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र ने उपस्थित जन समूह से अनुरोध किया कि वे प्रस्तावित उद्योग के बारे में पर्यावरण से सम्बन्धित अपने सुझाव/टिप्पणी/आपत्ति एवं जानकारी हेतु विचार प्रकट कर सकते हैं। साथ ही निम्नलिखित जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने सुझाव, टिप्पणी एवं आपत्तियों की जानकारी देते हुए विचार प्रकट किये गये।

1. श्री सिद्धिनाथ सिंह, प्रदेश सचिव, किसान यूनियन उ0प्र0 ने कहा कि– वड़ागाँव एवं इसके आस–पास के गाँव में पेयजल की गम्भीर समस्या है। उद्योग द्वारा भू–जल दोहन से और अधिक भूगर्भ जल स्तर नीचे चला जायेगा, जिससे पेयजल की गम्भीर समस्या होगी। साथ ही यह भी कहा गया कि उद्योग वायु प्रदूषणकारी प्रकृति का है, जिससे गाँवों के निवासियों, फसलों, वृक्षों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण एवं पेयजल की समस्या पर विचार करने के उपरान्त ही उद्योग की स्थापना की जाय।

क्रमशः 3/पर....

2. श्री केशव दूबे, शिवपुर (N.G.O.)– श्री केशव दूबे ने कहा कि इसी प्रकार का एक अन्य उद्योग ग्राम–धौंहा में चल रहा है जिससे वायु प्रदूषण की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। साथ ही उद्योग द्वारा भूगर्भ जल दोहन के कारण जल स्तर नीचे चला जायेगा और पेयजल की किल्लत होगी। इस प्रकार के प्रदूपणकारी उद्योग द्वारा यदि पर्याप्त प्रदूपण नियंत्रण की व्यवस्था नहीं की जाती है तो जन–जीवन पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। उद्योग को उपयुक्त जल एवं वायु प्रदूपण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना के उपरान्त ही चलाने की अनुमति दी जाय।

3. श्री रामराज सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, मिर्जापुरः– श्री सिंह ने कहा कि देश के विकास के लिए उद्योग धन्धों की स्थापना की आवश्यकता है परन्तु पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाले उद्योगों को जब तक प्रदूषण नियंत्रण की सही व्यवस्था नहीं कर लेते हैं तब तक चलाने की अनुमति न दी जाय। पेयजल की समस्या के निदान के लिए उद्योग को सहयोग करना चाहिए तथा आस–पास के गांवों के समग्र विकास के लिए भी उद्योग को प्रयास करना चाहिए तथा स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाय।

4. श्री राजेन्द्र प्रसाद शास्त्री (प्रदेश महासचिव, भारतीय किसान यूनियन) नेवादा, मिर्जापुर श्री राजेन्द्र प्रसाद शास्त्री द्वारा उपस्थित जनसमूह को यह अवगत कराते हुए कहा कि जनपद के विकास के लिए उद्योग की स्थापना की जानी चाहिए, परन्तु उद्योग की स्थापना पर्यावरण की क्षति के मूल्य पर नहीं। श्री शास्त्री ने सुझाव दिया कि भू–जल संरक्षण एवं उचित पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना के साथ उद्योग की स्थापना की जाय। साथ ही आस–पास के गाँव के विकास में उद्योग अपनी भागीदारी निभायें।

5. श्री प्रदीप शुक्ला (महासचिव, विन्ध्य इनवायरमेन्टल सोसाइटी) ग्राम–बरेवां, भरेहठा, चुनार, मिर्जापुर ने कहा कि औद्योगिकीकरण के साथ–साथ क्षेत्र का समग्र विकास किया जाय एवं उद्योग से सम्भावित प्रदूपण नियंत्रण व्यवस्था का समुचित स्थापना किया जाय, जिससे कि आस–पास के जनता को प्रदूपण का सामना न करना पड़े। साथ ही जल प्रवन्धन की उचित व्यवस्था की जाय।

क्रमशः 4 / पर....

लोक–सुनवाई स्थल पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्यरत प्रस्तावित स्थल के समीप ग्राम–धौंहा स्थित अन्य उद्योग से हो रहे वायु प्रदूषण की शिकायत की गयी तथा माँग किया गया कि उद्योग द्वारा स्थापित वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इनके द्वारा भूगर्भीय जल का दोहन किया जा रहा है जिससे कि आस–पास के क्षेत्र में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है। जन समूह द्वारा एक स्वर से माँग की जा रही थी कि कार्यरत उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण की समुचित व्यवस्था स्थापित करने के उपरान्त ही उद्योग चलाने की अनुमति दी जाय।

तत्पश्चात् जनता के उपरोक्त आक्षेप/सुझाव/आपत्तियों के विन्दुवार निराकरण करते हुए उद्योग के स्वामी श्री अरूण जैन ने अवगत कराया कि उद्योग में जव तक इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसीपिटेटर (ई0एस0पी0) की स्थापना नहीं कर ली जायेगी तव तक उद्योग में उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। साथ ही जल प्रवन्धन हेतु उद्योग परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग (वर्षा जल संचयन) का निर्माण किया जायेगा।

तत्पश्चात् उद्योग के निदेशक श्री अजीत कुमार जैन ने उपरोक्त वर्णित जनप्रतिनिधियों के विचार विन्दुओं पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि स्थानीय नागरिकों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने, वाटर हार्वेस्टिंग तथा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था की स्थापना के उपरान्त ही उद्योग का संचालन किया जायेगा। जनहित में अन्य गांवों में भी यदि ग्रामवासियों द्वारा सहयोग किया जाय तो वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करने में उद्योग द्वारा पूरा सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा जनहित की समस्याओं के निदान हेतु प्राथमिकता पर कार्यवाही की जायेगी। उद्योग में जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के स्तर को निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के सारे प्रयास किए जायेंगे। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नियमों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण हेतु सारी व्यवस्था की जायेगी।

वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु **99.90%** कार्य क्षमता के इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर (ई0एस0पी0) संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। चिमनी की उचित ऊँचाई की चिमनी स्थापित की जायेगी, जिससे कि दूषित हवा विखंडित हो सके। कोयला भण्डारण, लदाई एवं उतारने के स्थानों पर जल का छिड़काव किया जायेगा जिससे धूल कण दव जाये।

क्रमशः 5/पर....

प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था (**ESP**) निकलने वाली राख का संग्रह सूखी राख के रूप में किया जायेगा और यथा सम्भव इसे सीमेन्ट कारखानों को दिया जायेगा। इस दिशा में विभिन्न सीमेन्ट कम्पनियों से बातचीत चल रही है। इसके अलावा राख उपयोग के लिए अन्य उपाय जैसे–ईंट बनाना, निचली जमीन को भरना, सड़क निर्माण आदि भी किये जायेंगे।

'लोक सुनवाई' अध्यक्षीय सम्बोधन में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मिर्जापुर श्री श्रीश चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के अनुकूल प्रदूषण के स्तर को यथासम्भव निम्नतम रखने के सारे उपाय किये जायें। उन्होंने निदेशक रो आग्रह किया कि क्षेत्र के बहुमुखी विकास का विशेष ध्यान रखा जाय। लोकसुनवाई के समय तथा उसके दो दिन के अन्दर प्राप्त कुल 53 आपत्तियॉ एवं सुझाव लिखित रूप रो प्राप्त हुई जो मूल रूप रो संलग्न की जा रही है।

उपरोक्त विचारों, सुझावों, टिप्पणियों एवं आपत्तियों के अतिरिक्त और कोई मुद्दा **'लोक सुनवाई'** के दौरान नहीं उठाया गया। उपस्थित जनसमूह ने सर्वसम्मति से इस परियोजना के स्थापना हेतु प्रदूषण को नियंत्रित करते हुए तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपरान्त अपनी सहमति जताई एवं इसके क्रियान्वयन का आग्रह किया।

"लोक सुनवाई" की उपरोक्त आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः सीडी, फोटोग्राफ एवं आपत्तियां तथा सुझाव।

(कालिका सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र।

(श्रीश चन्द्र श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
मिर्जापुर।

men'

PHOTO

...ot on Thursday.

police

... [illegible] ... soon after Omar was

bjpwarwithin

Koshiyari meets Rajnath, to withdraw resignation

Shekhar Iyer
New Delhi, June 18

Uttarakhand Chief Minister B.C. Khanduri's archrival Bhagat Singh Koshiyari has agreed to withdraw his resignation from the Rajya Sabha after a meeting with *BJP chief* Rajnath Singh late on Thursday.

Koshiyari (67) had quit in an attempt to force Khanduri out, following the poll debacle in his state, where the *BJP lost all* five Lok Sabha seats. He had also declared he would work as an ordinary BJP *worker to resurrect the party* in the hill state.

KOSHIYARI

Rajnath, however, reportedly said that he put the party in "deep distress" at a time when it was working to resolve the leadership issue in Uttarakhand.

Party sources said party vice president Mukhtar Abbas Naqvi and general secretary Ramlal Aggarwal, who were present at the meeting, told *Koshiyari he was spoiling his* own chances as a replacement for Khanduri by so publicly throwing down a gauntlet.

Khanduri had himself offered to quit after the results were declared, but party leaders had asked him to continue *because the state legislators* could not agree on a replacement.

Khanduri (75), who was away in Nagpur, said Koshiyari should have first discussed the issue with party bigwigs before sending his resignation to the *Rajya Sabha* chairman. He added that he was "deeply pained" by the developments.

"When I was in the Army, I liked BJP because they had the unprecedented discipline," said the retired Major General. "Now, much has changed in the party."

Earlier in the day, 13 BJP MLAs met central party bosses to warn that they too would quit the state Assembly if their demand for a change of lead-

MINISTRY OF RAILWAYS
RAIL LAND DEVELOPMENT AUTHORITY

"Requirement of Personnel in RLDA"

Advt. No. RLDA/HR/2009/1

Rail Land Development Authority (RLDA), a statutory Authority set-up by *an Amendment to the Railways Act, 1989*, has been given the mandate of development of vacant Railway Land for commercial use for the purpose of generating revenue by non-tariff measures.

Applications are invited from personnel working in Indian Railways, Govt. Organisations and Public Sector Undertakings for being posted on deputation basis to the following 2 vacancies. All the vacancies are based in Delhi.

S.N.	Post	CDA pay scale	No. of Vacancies
1.	Assistant Legal Advisor	Rs. 15600-39100 (PB) with grade pay Rs. 6600/-	1
2.	Manager/ Projects	Rs. 15600-39100 (PB) with grade pay Rs. 6600/-	1 (only officers from Indian Railways should apply)

This advertisement is only indicative. The detailed application format and other particulars regarding eligibility criteria, qualification, mode of selection/marks, are available on our website at http://www.rlda.in. Interested and eligible candidates may send their applications through proper channel along with *SPE / Vigilance / DAR* clearance and copies of 5 years ACRs in the prescribed format (refer our website at http://www.rlda.in) to Joint General Manager (HRD), RLDA, Moti Bagh-I (*next to Safdarjung Railway Station*), New Delhi - 110021. An advance copy of the application may also be sent to the Authority by fax (011-24104793) / courier at the above mentioned address for information.
Last date for Receipt of Applications: 15.07.2009

CANVASSING IN ANY FORM SHALL BE A DISQUALIFICATION.

INDIAN RAILWAYS

क्षे.का. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 182, ओर मोहल्ला, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

पर्यावरण अधिसूचना दि.14.09.2006 के अन्तर्गत 'लोक सुनवाई' हेतु आम-सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-मिर्जापुर में मेसर्स आर.एस.जे. कान्क्रीट लि. बड़ागाँव, [illegible], चुनार, मिर्जापुर में 400 टन/दिन [illegible] के उत्पादन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय-भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.06 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के पूर्व 'लोक सुनवाई' कराया जाना आवश्यक है, एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/ सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533, दिनांक 14.09.2006 के अनुरूप होती है। अतः उक्त उद्योग के प्रस्ताव से संबंधित [illegible] निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:-

(अ) कार्यालय, जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
(ब) महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, मिर्जापुर।
(स) कार्यालय जिला पंचायत, मिर्जापुर।
(द) क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, [illegible], केन्द्रीय भवन, [illegible], अलीगंज, लखनऊ।
(य) क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
(र) उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

[illegible] 19.07.2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गई है। [illegible]

क्षेत्रीय अधिकारी

No. [illegible]/RLJ/2009-10 date 12.06.09

(18-6 [illegible]
[illegible]
18 जून 2009)

दैनिक जागरण
दिनांक : 18.06.2009

क्षे.का. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
162, उत्तर मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

पर्यावरणीय अधिसूचना दि. 14.09.2006 के अन्तर्गत 'लोक सुनवाई' हेतु आम-सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद मिर्जापुर में मैसर्स आर.एल.जे. कानकास्ट लि. बड़ागांव, कुशमी, चुनार, मिर्जापुर में 400 टन/दिन स्पंज आयरन उत्पादन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.06 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के पूर्व 'लोक सुनवाई' कराया जाना आवश्यक है, एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533, दिनांक 14.09.2006 के अनुरूप होगी है। उक्त उद्योग के प्रस्ताव से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:-

(अ) कार्यालय, उपजिलाधिकारी मिर्जापुर।
(ब) महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, मिर्जापुर।
(स) कार्यालय जिला पंचायत, मिर्जापुर।
(द) क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज, लखनऊ।
(य) क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
(र) उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण हेतु जनपद मिर्जापुर के उपजिलाधिकारी न्यायालय, चुनार, में दिनांक 19.07.2009 को पूर्वान्ह 11.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गयी है जिसमें उपस्थित होकर अपना सुझाव व आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव व आपत्तियां लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर दे सकते हैं।

प.सं. 129/R.L.J./2009-10/ दि. 12.06.09 | क्षेत्रीय अधिकारी

मेरार्स आर0एल0जे0 कॉनकास्ट लि0, बड़ागाँव, कुशमी, चुनार, मिर्जापुर द्वारा 400 टन/दिन स्पंज आयरन इकाई की स्थापना से पूर्व उपज़िलाधिकारी न्यायालय चुनार, मिर्जापुर, में दिनांक 19 जुलाई, 2009 को **"लोक सुनवाई"** के दौरान अधिकारियों, पत्रकार बन्धुओं एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति:–

क्रमांक	नाम	पदनाम एवं विभाग	हस्ताक्षर
1.	श्रीश चन्द्र श्रीवास्तव	A.DM(F/R)	
2.	ए० डी० मिश्रा	अधि० पु० अधि०	
3.	महेन्द्र कुमार राय	उप जिलाधिकारी	[illegible]
4.	कालिकासिंह	SDM चुनार क्षेत्रीय अधिकारी	[illegible] 19/7/09
5.	SK Awasthi	उ० प्र० प्रदूषण नि० बोर्ड सोनभद्र A.O. UPPCB	[illegible] 19/7/09
6.	Arun Kumar Jain.	Director.	Arun Kumar Jain
7.	AJIT KUMAR JAIN.	DIRECTOR	[illegible]
8.	DR MANOJ GARG	ETRC	[illegible]
9.	RAMESHWAR SINGH	Director	[illegible]
10.	Ranjeet Kumar	M.A UPPCB Sonbhadra	[illegible]
11.	B.K. MISRA	M.A. UPPCB Sonbhadra	[illegible]
12.	B. Chaubey	D.E.O. UPPCB SBR.	Chaubey
13.	राजेन्द्र मिश्र (पत्रकार)		[illegible]
14.	प्रदीप कुमार शुक्ला (पु० अधि०)		प्रदीपकुमारशुक्ला 19.7.09
15.	विनोद वर्मा		[illegible]
16.	[illegible]		
17.	RajKumar Sarkar.		[illegible]
18.	Rajesh [illegible]	Advocate	[illegible]
19.	[illegible]		
20.	Manoj Kumar [illegible]	[illegible]	[illegible]
21.	Ram NATH [illegible]	Army	[illegible]

क्रमशः 2/पर.

6

क्रमांक	नाम	पदनाम एवं विभाग	हस्ताक्षर
22.	Mukesh Kumar		[signature]
23.	[illegible]	Advocate	[signature]
24.	[illegible]		[signature]
25.	[illegible]		
26.	[illegible]		[signature]
27.	R.K. Chaudhary	Advocate	[signature]
28.	Sheikh Kalim	ENC Envt. Envt. Society	[signature]
29.	केशवदेव (महासचिव) पार्षद		केशवदेव
30.	Suresh Chandra		[signature]
31.	S Tiwari		S Tiwari
32.	[illegible]		[signature]
33.	Manoj L. Lal		[signature]
34.	Manoj Kr Yadav		[signature]
35.	[illegible]		[signature]
36.	Md. Firoz		[signature]
37.	[illegible] Babu		[signature]
38.	Safan		[signature]
39.	Satish Agarwal		S. Agarwal
40.	Lokesh Agarwal		[signature]
41.	ईश्वर यादव		ईश्वर यादव
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			